न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –101/2020
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2020/00123

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
नरेन्द्रसिंह चौधरी पुत्र धनपतसिंह जाति जाट निवासी इन्दिरा कॉलोनी, नागौर तहसील व जिला नागौर		1. तहसीलदार, नागौर 2. पटवारी हल्का, नागौर

उपस्थितिः–

1. **अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री ठाकुर प्रसाद राठी।**
2. **रेस्पोडेण्टस् की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।**

निर्णय **दिनांक** 01/03/2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा नम्बर 42/2019 बअनवान सरकार जरिए पटवारी नागौर बनाम नरेन्द्रसिंह चौधरी अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.03.2020 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एंव आदेश की अपीलार्थी को पहले कोई जानकारी नहीं थी। हाल ही में दिनांक 06.03.2020 को अपीलार्थी को पटवारी हल्का नागौर ने मौके पर अतिक्रमण हटाने की बात की तब अपीलार्थी ने उसे कहा कि यह भूमि तो उसकी पट्टासुदा स्वामित्व एंव अधिभोग की है इस पर पटवारी हल्का ने उक्त पारित निर्णय एंव आदेश के बारे में बताया जिस पर सार्वजनिक अवकाश समाप्त होने पर दिनांक 11.03.2020 को अपीलार्थी ने तहसील कार्यालय नागौर में जाकर पता किया तो उक्त पारित निर्णय एंव आदेश की सर्व प्रथम जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 11.03.2020 को हुई उसी दिन अपीलार्थी ने प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र पेश कर दिया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 18.03.2020 को अपीलार्थी को प्राप्त हुई जिसके तत्काल पश्चात् यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें हुई देरी को कन्डोन किया जाना उचित एंव न्याय संगत होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है, इसलिए अपलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र अपील अपीलान्ट को खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलांट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया जाकर न्यायहित में अपील की मे[illegible]वाई की गई।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर [illegible] गई। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि पट[illegible] हल्का नागौर ने खसरा नम्बर 361/853 रकबा 4851 वर्गफीट नागौर पर अपीलार्थी का अतिक्रमण मानते हुए एक रिपोर्ट [illegible] संख्या एक की यहां प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट में अपीलार्थी को बि[illegible] कोई नोटिस जारी किये इकतरफा कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि पर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए 50/– रूपये जुर्माना राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

अधिरोपित करते हुए मौके पर से बेदखल करने के आदेश पारित हुए है। उक्त निर्णय एंव आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील पेश की है।

निर्णय एंव आदेश जैर अपील पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य से पूर्णतया विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्ट्या निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का न तो कोई नोटिस जारी हुआ न ही ऐसा कोई तामिल सुदा नोटिस पत्रावली पर आया है। उक्त प्रकरण में 13.06.2019 को कार्यवाही कायम करते हुए 11.07.2019 की पेशी नियत की गई। उक्त पेशी पर अपीलार्थी को अनुपस्थित बताया गया है जबकि अपीलार्थी को नोटिस जारी हुआ या नहीं ऐसा नोटिस तामिल होकर आया या नहीं इस बारे में कोई अंकन आदेशिका दिनांक 11.07.2019 में नहीं है इससे भी साफ जाहिर है कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सुनावाई का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। इस प्रकार से उक्त निर्णय एंव आदेश एकपक्षीय पारित निर्णय एंव आदेश की परिभाषा में आता है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया गया है जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित किये जाने से पूर्व सुनवायी का पूर्ण एंव पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत होता है। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इस आधार पर निर्णय एंव आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त प्रकरण में जिस भूमि पर अतिक्रमण माना गया है वह भूमि नगरपरिषद् नागौर की आबादी क्षेत्र की भूमि है जिस पर तहसीलदार नागौर को कोई कार्यवाही करने का अधिकार न तो था व न है। इस प्रकार से उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण इस आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी एंव अपीलार्थी की पत्नि श्रीमति बसन्तीदेवी एंव अपीलार्थी के पुत्र सुनिल चौधरी के नाम से पंजीबद्ध विक्रय विलेख हो रखे है वस्तुतः उक्त भूमि के संबंध में पट्टा विलेख नगरपालिका मण्डल नागौर द्वारा दिनांक 25.08.1969 व दिनांक 06.09.1969 के द्वारा मोहनलाल व श्रीधर बोहरा के नाम से जारी हुए है तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में खांचा भूमि का पट्टा जारी हुआ है एंव अन्य दस्तावेजात भेंट पत्र व विक्रय पत्र निष्पादित हुए है अन्ततः स्वामित्व एंव अधिभोग अपीलार्थी, उसकी पत्नि बसन्ती देवी व उसके पुत्र सुनिल चौधरी में निहित हुआ है। यह सभी दस्तावेजात विधिवत रूप से निष्पादित एंव पंजीबद्ध दस्तावेज है जिनके आधार पर स्वामित्व प्राप्त हुआ है। इस आधार पर निर्णय एंव आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त भूमि पर नगरपरिषद् नागौर द्वारा विधिवत रूप से भवन निर्माण स्वीकृति भी जारी की गई है। उक्त प्रकरण में जो आदेश पारित हुआ है वह निर्णय भी एक निर्णय हाथ व एक निर्णय टाइप किया हुआ है हाथ जो निर्णय हुआ है उसमें जुर्माना लगान वगैरा खाली पडा है और नरेन्द्र चौधरी के पिता का नाम तो दोनो जगह खाली पडा है। इससे भी जाहिर है कि उक्त निर्णय एंव आदेश पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कोई माइण्ड अप्लाई नहीं करने का कथन करते हुऐ अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय एवं आदेश जैर अपील निरस्त घोषित करने एवं अपीलार्थी के विरूद्ध की गई उत 91 आर.एल.आर. की कार्यवाही को निरस्त घोषित करने एवं खर्चा अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण से दिलाये जाने आदि का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 361/853 रकबा 4851 वर्गफुट सरकारी कार्यालय एवं आवास हेतु आरक्षित रखी गयी राजकीय भूमि पर मकान बनाकर अतिकमण किया है, जो पटवारी हल्का नागौर की रिपोर्ट से साबित है। इस प्रकार अपीलान्ट अतिक्रमी होने के [illegible] न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, सही जो सही होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:33 IST
Reason: SelfAttested

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन [illegible] पत्रावली पर अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब करने का उल्लेख आदेशिका दिनांक 13.06.2019 में किया गया है, परन्तु अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया अथवा नहीं इस संबंध में कोई साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

नहीं है और न ही अपीलान्ट का तामीलसुदा कोई नोटिस अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी कर उसकी तामील करवाये बिना ही उसकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो निर्णय जैर अपील पूर्णतया विधि विरूद्ध होकर खारिज किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में पटवारी हल्का नागौर की रिपोर्ट दिनांक 27.05.2019 पर निरीक्षक भू–अभिलेख निरीक्षक नागौर द्वारा अतिक्रमण स्थल का नक्शा बनाकर पेश करने का उल्लेख किया गया है, जिसके सन्दर्भ में उक्त रिपोर्ट के पीछे पटवारी नागौर द्वारा नजरी नक्शा बनाया गया है, परन्तु वादग्रस्त खसरा के किस भाग में कितना अतिक्रमण है, अतिक्रमित भाग को लाल स्याही से नहीं दर्शाया है, जो उचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील में कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 361/853 रकबा 4851 वर्गफुट सरकारी कार्यालय एवं आवास हेतु आरक्षित रखी गयी राजकीय भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण करने का उल्लेख किया है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उक्त खसरा की भूमि सरकारी कार्यालय एवं आवास हेतु आरक्षित रखी जाने के संबंध में कोई आदेश अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को विधि सम्मत निर्णय हेतु रिमाण्ड किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील खारिज किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह इस निर्णय के उपर्युक्त पैरा में दिये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुऐ पक्षकारान को नियमानुसार युक्तियुक्त सुनवाई, साक्ष्य, सबूत आदि का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नये सीरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:27:33 IST
Reason: SelfAttested